5/संख्या-151/11-क0नि0-7-2015-700(465)/2014

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकरी,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उप महानिरीक्षक/
   सहायक महानिरीक्षक, निबंधन,
   उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबंधन अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक- 29 जनवरी, 2015

विषय:- **स्टाम्प वादों में राजस्व विभाग के पोर्टल पर स्टाम्प शुल्क की कमी संबंधी अतिरिक्त सूचना की प्रविष्टि के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-79/11-क0नि0-7-2015-700(465) /2014 दिनांक 14-01-2015 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजस्व विभाग के पोर्टल vaad.up.nic.in पर सभी स्टाम्प वादों में "दिये गये स्टाम्प शुल्क" एवं "संदर्भण में इंगित वांछित स्टाम्प शुल्क" की सूचना की दिनांक 20-01-2015 तक प्रविष्टि करने के निर्देश दिये गये थे।

2- यह खेद का विषय है कि जन-सामान्य से एवं सरकार के राजस्व से जुड़े इतने महत्वपूर्ण विषय पर भी कतिपय न्यायालयों द्वारा इसे प्रविष्ट नहीं किया गया है। पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार न्यायालयों में विचाराधीन स्टाम्प वादों में से संलग्न तालिका के अनुसार उक्त सूचना को प्रविष्ट नहीं किया गया है। आपसे अनुरोध है कि कृपया दिनांक 07.02.2015 तक अब प्रत्येक दशा में उपरोक्त प्रविष्टि कराना सुनिश्चित कर लें।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि- महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in